


10-6-24

पनापली पैरा दुसरी। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार (श.क.)
तहसील कोली ने पाली पात्र अथवा कारण कि उक्त
मे पालना कर्वाई पा चुकी है, जो बाकिल पनापली
किमा गया। उक्त मे कोई भी आपेवाही शेष नही होने
रहे पालना हो जाने ते पनापली पैरा की पाती है।
पनापली पैरा उक्त होकर नवर ले कत होकर नवर
तहसील दाखिल करवा है।


उपप्रमुख अधिकारी
कोली (राज०)